<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर</u>

<u>आदेश</u>

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-8553/2007
आशव व अन्य बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:**13.12.2007**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल</u>

श्री राहुल तिवारी , अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थीगण की ओर से
श्री एस एन गुप्ता, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा धारा 439 जाप्ता फौजदारी में यह जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-624/2007 पुलिस थाना- डीग, भरतपुर अपराध अन्तर्गत धारा- 420 व 511 भारतीय दण्ड संहिता के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त-प्रार्थीगण के विरूद्ध नकली सोने की ईंट को असली बताते हुए बेचने का प्रयास करने का मामला है। अभियुक्त-प्रार्थीगण न्यायिक अभिरक्षा में है तथा मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वीक्षा योग्य है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए , मेरी राय में प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त- प्रार्थीगण 1. आशव पुत्र कमरूद्धीन 2. कल्लू पुत्र शादी 3. शेर मोहम्मद पुत्र चन्दरा निवासीगण मथुरा, उत्तर प्रदेश - द्वारा रूपये 20**,000/- 20,000/- (बीस-बीस हजार रूपये मात्र)** के स्वयं के बंध पत्र व रूपये 10**,000/- - 10,000/- (दस-दस हजार रूपये मात्र)** की दो-दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि की पेश की जावे तो उसे प्रथम सूचना संख्या-624/2007 पुलिस थाना- डीग, भरतपुर से सम्बन्धित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वे प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होते रहेंगे।

(न्या0 जितेन्द्रराय गोयल)